सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश / पर्यावरण /2026
नीति परिपत्र सं. 7.4.22 /2026 दिनांक 22nd अक्टूबर, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल स. EGHDIV/46/2026-ENV & GHD Division (कम्प्युटर सं. 330852 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Environment /2026
Policy Circular No. 7.4.22 / 2026 dated 22nd October, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. EGHDIV/46/2026-ENV & GHD Division (Comp No. 330852)}

विषय: इंटरचेंज लूप्स और अन्य समान राजमार्ग क्षेत्रों के भीतर भाराराप्रा-अधिग्रहीत भूमि से मिट्टी उठाने पर प्रतिबंध के संबंध में।

Sub.: Restriction on borrowing of Earth from NHAI-acquired land within Interchange Loops and other similar Highway Areas - reg:-

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के दौरान इंटरचेंजों, ग्रेडसेपरेटरों, फ्लाईओवरों, रैम्पों और संबद्ध राजमार्ग अवसंरचना के लिए पर्याप्त भूखंडों का अधिग्रहण किया जाता है। इंटरचेंज लूप्स के भीतर और रैम्पों तथा कैरिजवे के बीच घिरी हुई भूमि सामान्यतः भाराराप्रा द्वारा अधिग्रहीत मार्गाधिकार (आरओडबल्यू) का हिस्सा होती है।

During the development of National Highways, substantial land parcels are acquired for Interchanges, Grade Separators, Flyovers, Ramps and Associated Highway Infrastructure. The land enclosed within Interchange Loops and between Ramps and Carriageways generally forms part of the Right of Way (RoW) acquired by NHAI.

2. ऐसी भूमि का उपयोग वृक्षारोपण, भूसुदर्शनीकरण, पारिस्थितिक सुधार, जल निकासी प्रबंधन और राजमार्ग-संबंधी अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके प्रभावी उपयोग हेतु उपयुक्त भूमि स्तरों, मृदा स्थितियों और जल निकासी प्रबंधन के संरक्षण की आवश्यकता होती है।

Such Land may be utilised for Plantation, Landscaping, Ecological Improvement, Drainage Management and other Highway-related purposes. Its effective utilisation requires preservation of suitable Ground Levels, Soil Conditions and Drainage Arrangements.

3. यह देखा गया है कि संविदाकार/कंसेसनेयर कभी-कभी राजमार्ग के निर्माण में मिट्टी कार्य और भराव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों से मिट्टी निकालते हैं। अनियोजित खुदाई के परिणामस्वरूप गड्ढे, जल-भराव, जल निकासी पैटर्न में बाधा तथा भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है जिससे यह वृक्षारोपण, भूसुदर्शनीकरण या अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और पुनरुद्धार पर अनावश्यक व्यय करना पड़ता है।

It has been observed that Contractors/Concessionaires sometimes extract earth from these areas to meet the earthwork and filling requirements of Highway construction. Unplanned excavation may result in depressions, water-logging, disturbance of drainage patterns and deterioration of the land, rendering it unsuitable for Plantation, Landscaping or other usage and necessitating avoidable expenditure on restoration.

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि संविदाकारों/कंसेसनेयरों की निर्माण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इंटरचेंज लूप्स के भीतर, रैम्पों और कैरिजवे के बीच की भूमि तथा अन्य समान भाराराप्रा-अधिग्रहीत क्षेत्रों से मिट्टी/मृदा लेने या निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी भूमि को केवल इसलिए खनित क्षेत्र नहीं माना जाएगा क्योंकि यह परियोजना मार्गाधिकार के भीतर उपलब्ध है या मिट्टी के परिवहन में सुविधा प्रदान करती है।

Contd....2/-

Keeping above in view, it has been decided that the borrowing or extraction of Earth/Soil from land enclosed within Interchange Loops, between Ramps and Carriageways, and from other similar NHAI-acquired Areas shall not be permitted for meeting the construction material requirements of Contractors/Concessionaires. Such land shall not be treated as a borrow area merely because it is available within the Project ROW or offers convenience in the transportation of earth.

5. यह प्रतिबंध चल रही परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं पर लागू होगा। हालांकि, यह नींव, संरचनाओं, डिजाइन ग्रेडिंग, जल निकासी कार्यों, काट-और-भराव कार्यों या अन्य अधिकृत इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए अनुमोदित राजमार्ग डिजाइन के अंतर्गत विशेष रूप से आवश्यक खुदाई को बाधित नहीं करेगा। ऐसी खुदाई केवल अनुमोदित आरेखनों, स्तरों और मात्राओं तक ही सीमित रहेगी तथा इसका उपयोग असंबंधित निर्माण गतिविधियों के लिए मिट्टी के स्रोत के रूप में नहीं किया जाएगा।

This restriction shall apply to all Projects, including Ongoing Projects. However, it shall not preclude excavation specifically required under the approved Highway design for Foundations, Structures, Designed Grading, Drainage Works, Cut-and-Fill operations or other authorised engineering purposes. Such excavation shall remain confined to the approved drawings, levels and quantities and shall not be used as a source of Earth for unrelated construction activities.

6. अनुमोदित डिजाइन आवश्यकताओं से इत्तर खुदाई में शामिल किसी भी प्रस्ताव के लिए तकनीकी औचित्य, प्रस्तावित भू स्तरों और जल निकासी प्रबंधनों तथा भूमि के लक्षित उपयोग पर प्रभाव के आकलन द्वारा समर्थित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ऐसा अनुमोदन उक्त क्षेत्र को खनित क्षेत्र के रूप में उपयोग करने की सामान्य अनुमति नहीं माना जाएगा।

Any proposal involving excavation beyond the approved design requirements shall require prior written approval of the Competent Authority, supported by Technical Justification, Proposed Ground Levels and Drainage Arrangements and an assessment of the impact on the intended use of the land. Such approval shall not constitute general permission to use the area as a borrow area.

7. प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र अभियंता, जैसा भी लागू हो, इस अनुपालन की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों का उपयोग अनधिकृत रूप से मिट्टी उठाने के लिए न किया जाए। किसी भी उल्लंघन को तत्काल रोका जाएगा और स्थल तथा खुदाई की सीमा के विवरण सहित संबंधित परियोजना निदेशक को सूचित किया जाएगा।

The Authority's Engineer/Independent Engineer, as applicable shall monitor compliance and ensure that such Areas are not used for unauthorised borrowing of Earth. Any violation shall be stopped immediately and reported to the concerned Project Director, along with details of the location and extent of excavation.

8. संविदाकार / कंसेसनेयर को निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ भी आवश्यकता हो, प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार अपनी स्वयं की लागत पर करें, जिसमें समुचित भूमि स्तरों की बहाली, उचित जल निकासी का प्रावधान, और लक्षित वृक्षारोपण, भूसुदर्शनीकरण या अन्य उपयोग के लिए उपयुक्तता सुनिश्चित करना शामिल है। इन निर्देशों का अनुपालन न करने पर संविदा/रियायत करार और लागू विधि के लागू प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

The Contractor/Concessionaire shall be directed to restore the affected land, wherever required at its own cost including restoration of appropriate Ground levels, provision of proper drainage and ensuring suitability for the intended Plantation, Landscaping or other use. Non-compliance with these directions shall invite appropriate action in accordance with the applicable Provisions of the Contract/Concession Agreement and applicable Law.

Contd....3/-

9. सभी क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना निदेशक अपने क्षेत्राधिकार में इन अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे और सख्ती से कार्यान्वयन के लिए इन्हें संबंधित संविदाकारों/कंसेसनेयरों और प्राधिकरण के इंजीनियरों/स्वतंत्र इंजीनियरों के संज्ञान में लाएंगे।

All Regional Officers and Project Directors shall ensure adherence to these Instructions within their respective jurisdictions and bring the same to the notice of the concerned Contractors/ Concessionaires and Authority's Engineers/ Independent Engineers for strict implementation.

10. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

22/10/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.